



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102021-230506  
CG-DL-E-18102021-230506

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3977]  
No. 3977]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943  
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2021

का.अ. 4326(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 5 की उप-धारा (1) और (2) का अनुपालन करते हुए तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार की तारीख 15.05.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1929(अ) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए औषधि प्रौद्योगिकी सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है, अर्थात्:—

क्र. सं.	सदस्य का नाम/पदनाम	बोर्ड में स्थिति	औषधि और प्रसाधन सामग्री, 1940 जिसके तहत नियुक्त/मनोनीत/निर्वाचित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली	पदेन अध्यक्ष	अधिनियम की धारा 5 (2) (i) के तहत नियुक्त किया गया
2.	औषध नियंत्रक, भारत, नई दिल्ली	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (ii) के तहत नियुक्त किया गया
3.	निदेशक, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (iii) के तहत नियुक्त किया गया

4.	निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (iv) के तहत नियुक्त किया गया
5.	निदेशक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (v) के तहत नियुक्त किया गया
6.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (vi) के तहत नियुक्त किया गया
7.	अध्यक्ष, भारतीय फार्मसी परिषद	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (vii) के तहत नियुक्त किया गया
8.	निदेशक, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (viii) के तहत नियुक्त
9.	आयुक्त, एफडीए, मध्य प्रदेश	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (ix) के तहत मनोनीत
10.	आयुक्त, एफडीसीए, गुजरात	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (ix) के तहत मनोनीत
11.	प्रो. (डॉ.) शैलेन्द्र सराफ, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, पं. रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (x) के तहत चुना गया
12.	डॉ. विजय ओज़ा, सदस्य (पीजीएमईवी), एनएमसी	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (xi) के तहत चुने गए
13.	श्री सुधीर मेहता, अध्यक्ष, टोरेट फार्मास्युटिकल्स	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (xii) के तहत मनोनीत
14.	डॉ. जेरिन जोस चेरियन, साइंटिस्ट डी, बुनियादी चिकित्सा विज्ञान विभाग, आईसीएमआर	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (xiii) के तहत चुने गए
15.	डॉ. जे ए जयालाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (xiv) के तहत चुने गए
16.	डॉ. टी.वी. नारायणा, अध्यक्ष, इंडियन फार्मास्युटिकल एसोसिएशन	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (xv) के तहत चुना गया
17.	सरकारी विश्लेषक, ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी, बेंगलुरु, कर्नाटक	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (xvi) के तहत मनोनीत
18.	सरकारी विश्लेषक, खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, वडोदरा, गुजरात	सदस्य	अधिनियम की धारा 5 (2) (xvi) के तहत मनोनीत

2. औषधि महानियंत्रक, भारत, इस बोर्ड के सदस्य-सचिव होंगे।

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएगी।

[फा. सं. एक्स-19012/2/2009-डीएफक्यूसी (पार्ट)]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2021

**S.O. 4326(E).**—In pursuance of sub-sections (1) and (2) of section 5 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, No. S.O. 1929(E) dated the 15<sup>th</sup> May, 2018, the Central Government hereby reconstitutes the Drugs Technical Advisory Board (DTAB) consisting of the following members, namely:—

S. N.	Name/Official Designation of the Member	Status in DTAB	Section of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 under which appointed/nominated/elected
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	The Director General of Health Services, New Delhi	Chairman ex-officio	Appointed under Section 5(2)(i) of the Act
2.	The Drugs Controller, India, New Delhi	Member ex-officio	Appointed under Section 5(2)(ii) of the Act
3.	The Director, Central Drugs Laboratory, Kolkata	Member ex-officio	Appointed under Section 5(2)(iii) of the Act
4.	The Director, Central Research Institute, Kasauli	Member ex-officio	Appointed under Section 5(2)(iv) of the Act
5.	The Director, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Bareilly, U.P.	Member ex-officio	Appointed under Section 5(2)(v) of the Act
6.	The Chairman, National Medical Commission, India	Member ex-officio	Appointed under Section 5(2)(vi) of the Act
7.	The President, Pharmacy Council of India	Member ex-officio	Appointed under Section 5(2)(vii) of the Act
8.	The Director, Central Drug Research Institute, Lucknow	Member ex-officio	Appointed under Section 5(2)(viii) of the Act
9.	Commissioner, FDA, Madhya Pradesh	Member	Nominated under Section 5(2)(ix) of the Act
10.	Commissioner, FDCA, Gujarat	Member	Nominated under Section 5(2)(ix) of the Act
11.	Prof. (Dr.) Shailendra Saraf, University Institute of Pharmacy, Pt. Ravishankar Shukla University	Member	Elected under Section 5(2)(x) of the Act
12.	Dr. Vijay Oza, Member (PGMEB), NMC	Member	Elected under Section 5(2)(xi) of the Act
13.	Shri Sudhir Mehta, Chairman, Torrent Pharmaceuticals	Member	Nominated under Section 5(2)(xii) of the Act
14.	Dr. Jerin Jose Cherian, Scientist D, Division of Basic Medical Sciences, ICMR	Member	Elected under Section 5(2)(xiii) of the Act
15.	Dr. J.A. Jayalal, National President, Indian Medical Association	Member	Elected under Section 5(2)(xiv) of the Act

16.	Dr. T.V. Narayana, President, Indian Pharmaceutical Association	Member	Elected under Section 5(2)(xv) of the Act
17.	Government Analyst, Drugs Testing Laboratory, Bengaluru, Karnataka	Member	Nominated under Section 5(2)(xvi) of the Act
18.	Government Analyst, Food & Drugs Laboratory, Vadodara, Gujarat	Member	Nominated under Section 5(2)(xvi) of the Act

2. The Drugs Controller (India) shall be the Member-Secretary of the Board.
3. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. X-19012/2/2009-DFQC(Pt)]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.